डी0जी0 परिपत्र संख्या–06/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक: फरवरी 19 ,2018

विषय:–गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन अधिकारियों से अभिमत प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

यह मेरे संज्ञान में आया है कि शासन तथा इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय मामलों में अभियोजन अधिकारियों से विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना विवेचनाधिकारियों द्वारा आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा रही है, जिससे विवेचना के मध्य हुई त्रुटियों का निवारण नहीं हो पाता और महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन उचित ढ़ग से नहीं हो पा रहा है, जिसका लाभ विचारण के दौरान अभियुक्तों को प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप दोषी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अत: निम्न निर्देश आपके संज्ञान में लाते हुए तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की जाती है।

1– शासनादेश संख्या–7202/आठ–9–31(91)–79 दिनांक 27.11.1980 के अनुलग्नक–5 के अनुसार अभियोजन विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारी पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के विधिक सलाहकार भी हैं और उन्हें फौजदारी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर(विवेचना के प्रक्रम को सम्मिलित करते हुए) आवश्यकतानुसार विधिक बिन्दुओं पर परामर्श देंगे।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमि0अपील संख्या:1485/2008 गुजरात राज्य बनाम किशनभाई आदि में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2014 में आपराधिक प्रकरणों की विवेचना एवं अभियोजन कार्यो में गुणवत्ता की कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए क्रिमि0अपील संख्या:169/2014 में स्पष्ट निर्देश दिये हैं:–

'On the completion of a criminal case, the prosecuting agency should independently apply its mind and ensure that all shortcomings are rectified, if necessary by ordering further investigation;' जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:जी.आई–26/छ:–पु0–9–14–31(36)/2014 दिनांक 22.04.2014 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या: 169/2014 में पारित आदेश के क्रम में शासनादेश संख्या–1909/छ:–9–2015–31(36)/2014 दिनांक 05.08.2015 द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व विवेचक द्वारा क्षेत्राधिकारी के माध्यम से केस डायरी अभियोजन अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जहां पर अभियोजन अधिकारी द्वारा केस डायरी के अवलोकनोपरान्त/परीक्षणोपरान्त विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्य आदि की समीक्षा की जाएगी और यदि उसमें कोई कमी या विसंगति पायी जाती है तो उसको इंगित करते हुए उसकी पूर्ति हेतु अग्रेतर विवेचना हेतु प्रेषित की जाएगी। इस कार्यवाही में केस डायरी जिस माध्यम से

अभियोजक के पास परीक्षण हेतु प्रेषित की जाए उसी माध्यम से अभियोजक द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त ही यथा स्थिति आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की जाएगी।

4- उ0प्र0 शासन के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त पार्श्वांकित परिपत्र अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं इस मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये हैं परन्तु अभियोजन अधिकारियों से अभिमत प्राप्त न किये जाने के कारण विवेचनाओं में अनेक बिन्दु अस्पष्ट एवं अनुत्तरित रह जाते है जिनका अभियोग की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अभि0नि0दे0 का पत्रांक:पांच-3-3-2000/2603/2012 दिनांकित 23.05.2012
संख्या:डीजी-दस-विप्र-रिट-378/2012 दिनांकित 07.08.2012
संख्या:डीजी-सात-एस-3(15)/20013 दिनांकित 04.06.2013
अभि0नि0दे0 का पत्रांक:पांच-3-3-2000/3476/2013 दिनांकित 18.07.2013
अभि0नि0दे0 का पत्रांक:पांच-दो-7-2014/1933/2015 दिनांकित 30.04.2015
संख्या:डीजी-सात-एस-14(06)/2015 दिनांकित 11.08.2015
अभि0नि0दे0 का पत्रांक:पांच-3-3-2014/3745/2015 दिनांकित 13.08.2015
संख्या:डीजी परिपत्र-45/2016 दिनांकित 21.07.2016

5- विधिक अभिमत को किसी भी दशा में विवेचना/केस डायरी का भाग नहीं बनाया जाएगा और न ही उद्धरण या संदर्भ ही केस डायरी में अंकित किया जाएगा। यदि कोई विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही करायी जाये।

6-मासिक अपराध गोष्ठी में गोष्ठी की विषयवस्तु में यह समीक्षा की जानी चाहिए कि कितने मामले विधिक अभिमत हेतु संदर्भित किये गये, कितने मामलों में अभियोजन अधिकारी द्वारा विधिक अभिमत दिया गया तथा कितने मामलों में बिना विधिक अभिमत के आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। इसी प्रकार इस गोष्ठी की विषयवस्तु में विवेचना में कमी अथवा त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण दोषमुक्त मामलों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि ऐसी त्रुटि/कमी आगामी विवेचना में न होने पाये।

अतः गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि समस्त विवेचनाओं में विधिक अभिमत प्राप्त कर उनकी कमियों का निवारण कराने के उपरान्त ही आरोप पत्र/अन्तिम आख्या मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

17/2

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-**समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उत्तर प्रदेश** को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।